मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

राजपति बनाम मनीराम आदि

दावा बाबत :– 88,89,188 RTAct

मुकदमा नम्बर :– 289/2021

निर्णय दिनांक :– 08-10-2021

वादी की ओर से वकील कृष्ण गर्ग की व प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील मुरारीराम गोस्वामी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 08-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही भोजा बुजेएसएल के खाता सं० 201 के मु.न. 155 के किला नं० 25 की 0.253 है० बारानी, मु.न. 156 के किला नं० 3 ता 8 प्रत्येक की 0.253 है०, किला नं० 13 ता 15 प्रत्येक की 0.253 है० कुल 2.530 है० व रोही चक बुजेएसएल के खाता सं० 83/76 के मु.न. 66 के किला नं० 11, 13 ता 22 प्रत्येक के 0.253 है० नहरी, मु.न. 67 के किला नं० 2 की 0.253 है० [illegible] 0.18 है० नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 मनीराम के नाम [illegible] में दर्ज है में से अकेले प्रतिवादी सं० 1 मनीराम के [illegible] सं० ता 9 व प्रतिवादी सं० 1 को बराबर के [illegible] घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के [illegible] ऋणमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड [illegible] दराज किया होवे व यदि वे वर्णित अनुतोष की डिक्री का मांग पढ़ा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:40:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner